

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 161/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हेमराज पुत्र गिरधारीराम		1. खुमाराम पुत्र जालाराम
2. ताजाराम पुत्र गिरधारीराम		2. ताराराम पुत्र जालाराम
3. पीराराम पुत्र गिरधारीराम		3. खेमराम पुत्र कोहलाराम
4. रामचन्द्र पुत्र गिरधारीराम		4. गोपाराम पुत्र कोहलाराम
5. शेराराम पुत्र गिरधारीराम		5. नवलाराम पुत्र कोहलाराम
6. कलाराम पुत्र नीम्बाराम		6. नानगाराम पुत्र केहनाराम, जातियान—सुथार
7. ठाकराराम पुत्र नीम्बाराम		7. आदूराम पुत्र वालाराम
8. मोटाराम पुत्र शेराराम		8. नारणाराम पुत्र वालाराम
9. हीराराम पुत्र शेराराम		9. गेनाराम पुत्र वालाराम
10. चन्दु पत्नी शेराराम		10. चौनाराम पुत्र डालूराम
11. चूनाराम पुत्र हड्डमानराम		11. मंगलेश पुत्र डालूराम
12. जीयाराम पुत्र हड्डमानराम		12. नेनाराम पुत्र ईशराराम
13. ठाकराराम पुत्र हड्डमानराम		13. मूलाराम पुत्र ईशराराम
14. चेनी पत्नी हड्डमानराम		14. ओमाराम पुत्र ईशराराम
15. जोगाराम पुत्र गेनाराम		15. गोमाराम पुत्र ईशराराम
16. मिसराराम पुत्र गेनाराम		16. पुनमाराम पुत्र रुपाराम
17. लहरो पत्नी गेनाराम		17. भूराराम पुत्र रुपाराम
18. मानाराम पुत्र गिरधारीराम		18. वरजागाराम पुत्र रुपाराम
19. धनाराम पुत्र हेमराज		19. किरताराम पुत्र रुपाराम
20. हड्डमानराम पुत्र हेराजराम, उम्र—व्यसक, जातियान—जाट, निवासी होडू, तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतराविप्रार्थीगण		20. गंगाराम पुत्र रुपाराम
		21. सावलाराम पुत्र हेमाराम
		22. हड्डमानराम पुत्र हेमाराम
		23. कानाराम पुत्र वेहनाराम
		24. डालूराम पुत्र लाधाराम
		25. गिरधारीराम पुत्र नरसीगाराम
		26. धनाराम पुत्र हेराजराम
		27. हड्डमानराम पुत्र हेराजराम
		28. नोजीदेवी पत्नी कलाराम
		29. लहरोदेवी पत्नी गेनाराम
		30. कवराराम पुत्र नवलाराम
		31. कंवराराम पुत्र कंवराराम, जातियान—जाट, निवासी—जोगासर, तहसील—सिणधरी, जिला—बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 10.03.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा जोगासर पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 206, 207, 209, 289, 290 रकबा 0.4045, 2.2571, 0.1780, 2.5241, 6.6176 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9813 हैक्टेयर का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा केरलीवास, पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 163 रकबा 8.0253 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्राथीगर्ण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा जोगासर पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 206, 207, 209, 289, 290 रकबा 0.4045, 2.2571, 0.1780, 2.5241, 6.6176 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9813 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा जोगासर पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 206, 207, 209, 289, 290 रकबा 0.4045,

2.2571, 0.1780, 2.5241, 6.6176 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9813 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा जोगासर पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 206, 207, 209, 289, 290 रकबा 0.4045, 2.2571, 0.1780, 2.5241, 6.6176 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9813 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदा है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा जोगासर पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 206, 207, 209, 289, 290 रकबा 0.4045, 2.2571, 0.1780, 2.5241, 6.6176 हैक्टेयर कुल रकबा 11.9813 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी